

**प्रेस नोट-सराहनीय कार्य दिनांक : 18.11.2024**

**थाना पुवायाँ पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में नामजद चार अभियुक्तों को घटना में प्रयुक्त फावड़ा (आलाकत्ल) व एक अदद डण्डा सहित किया गिरफ्तार**

श्रीमान पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर के निर्देशनुसार, श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन व श्रीमान क्षेत्राधिकारी पुवायाँ के कुशल पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे अभियुक्तों के सत्यापन व अवैध हथियार के दुरुपयोग व बिक्री को रोकने हेतु सघन अभियान व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में थाना पुवायाँ पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में नामजद चार अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अभियुक्तगण की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त फावड़ा (आलाकत्ल) व एक अदद डण्डा किया बरामद किया। थाना पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

**संक्षिप्त विवरण:-**

दिनांक 16.11.2024 को वादी श्री घनश्याम पुत्र श्रीरामसरन निवासी ग्राम फत्तेपुर बुजुर्ग थाना पुवायाँ जनपद शाहजहांपुर के द्वारा थाना हाजा पर लिखित तहरीर देकर अभियुक्तगण द्वारा खेत की मेड़ पर लकड़ी के डण्डे गाढ़ने के विवाद को लेकर वादी के भाई मनोज कुमार पुत्र रामसरन को गाली गलौज करने, लातघूसा व लाठी डण्डे से मारने पीटने जिससे प्रार्थी के भाई मनोज कुमार उपरोक्त के मौके पर बेहोश हो जाने के सम्बन्ध में 191(2)/190/115(2)/352/110 बीएनएस पंजीकृत कराया था जिसकी विवेचना अपराध निरीक्षक श्री राकेश सिंह द्वारा सम्पादित की जा रही हैं। दिनांक 17.11.2024 की शाम दौरान ईलाज मनोज कुमार पुत्र रामसरन की बरेली के अस्पताल में मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर अभियोग को धारा 191(2)/190/191(3)/115(2)/352/127(2)/109/103(1) बीएनएस में परिवर्तित किया गया। उक्त घटना में त्वरित कार्यवाही करते हुए नामित अभियुक्तगण 1. वीरू पुत्र विनोद कुमार निवासी ग्राम फत्तेपुर बुजुर्ग थाना पुवायाँ जनपद शाहजहांपुर 2. अजीत पुत्र दिनेश कुमार निवासी ग्राम फत्तेपुर बुजुर्ग थाना पुवायाँ जनपद शाहजहांपुर 3. आलोक पुत्र दिनेश कुमार निवासी ग्राम फत्तेपुर बुजुर्ग थाना पुवायाँ जनपद शाहजहांपुर 4. रामलडैते पुत्र लल्लू प्रसाद निवासी ग्राम फत्तेपुर बुजुर्ग थाना पुवायाँ जनपद शाहजहांपुर को जेबा रोड बाईपास पर स्थित अंडरपास के नीचे से समय करीब 04.38 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त वीरू की निशादेही पर हत्या में प्रयुक्त फावड़ा(आलाकत्ल) व अभियुक्त अजीत की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त एक अदद डण्डा बरामद किया गया। अभियुक्तगण को विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु खाना किया गया हैं तथा शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गयी।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण:-**

1. वीरू पुत्र विनोद कुमार निवासी ग्राम फत्तेपुर बुजुर्ग थाना पुवायाँ जनपद शाहजहांपुर
2. अजीत पुत्र दिनेश कुमार निवासी ग्राम फत्तेपुर बुजुर्ग थाना पुवायाँ जनपद शाहजहांपुर
3. आलोक पुत्र दिनेश कुमार निवासी ग्राम फत्तेपुर बुजुर्ग थाना पुवायाँ जनपद शाहजहांपुर
4. रामलडैते पुत्र लल्लू प्रसाद निवासी ग्राम फत्तेपुर बुजुर्ग थाना पुवायाँ जनपद शाहजहांपुर

**पंजीकृत अभियोग:-**

1. मु0अ0सं0 788/2024 धारा 191(2)/190/191(3)/115(2)/352/127(2)/109/103(1) बीएनएस थाना पुवायाँ जनपद शाहजहांपुर

### बरामदगी का विवरण:-

1. फावड़ा आलाकत्ल
2. एक अदद डण्डा (घटना मे प्रयुक्त)

### गिरफ्तारी/बरामदगी टीम का विवरण:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राकेश सिंह थाना पुवार्याँ जनपद शाहजहांपुर
2. उ0नि0 श्री सोमपाल सिंह थाना पुवार्याँ जनपद शाहजहांपुर
3. का0 2543 जोनी थाना पुवार्याँ जनपद शाहजहांपुर
4. का0 1753 चन्द्रवीर थाना पुवार्याँ जनपद शाहजहांपुर
5. का0 1747 यतेन्द्र चौहान थाना पुवार्याँ जनपद शाहजहांपुर